न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 128/2015
प्रविष्टिदिनांक 19–10–2015

आरेफा पत्नि उबेदुर्रहमान उर्फ लाडले मियॉ निवासी टोंक शर्की टोंक जिला–टोंक राज0
–अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार टोंक जिला– टोक
–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्व निर्णय तहसीलदार टोंक दिनांक 7–8–2015

उपस्थिति :- (1) श्री पवन कुमार जैन अपीलान्ट की ओर से
(2) श्री जुगनू शर्मा,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 8–2–2021**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 7–8–2015 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 5463 रकबा 3 बीघा 2 विस्वा भूमि कस्बा शर्की टोंक में से जो अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जे काश्त की है, उक्त भूमि में तहसीलदार टोंक ने अपीलान्ट का अवैध निर्माण/चारदिवारी मानकर अपीलान्ट को बेदखल करने, तथा निर्माण को हटाने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को विधि विधान एंव वास्तविक तथ्यों के विपरीत बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई एंव राजकीय अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि में सुरक्षा की दृष्टि से एंव हर प्रकार के नुकसान व नाजायत कृत्यों से बचने के लिए कृषि प्रयोजनार्थ उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए चार दिवारी बनाई है जो किसी प्रकार कृषि से अकृषि की परिभाषा में नहीं आती है। सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवार चारों तरफ बनाई गई डोल तारबन्दी बनाना नियमों के विपरीत नहीं होता है। अपीलान्ट द्वारा मौके पर किसी प्रकार का पक्का कमरा नहीं [illegible] सुरक्षा की दृष्टि से दीवार बनाना राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के प्रावधानों के [illegible] निबंन्धित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य [illegible] करने का अवसर प्रदान

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:11:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

किये बिना निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी अंकित किया है कि हमारे खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 5463 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा में से 3 बीघा भूमि में केवल चार दिवारी बनी हुई है कोई पक्का कमरा नहीं बना हुआ है पक्के कमरे का निर्माण खसरा नम्बर 5465/1 रकबा 2.10 बीघा व खसरा नम्बर 5465/2 रकब 0.05 में पुखता चार मकान बने हुए है जो भूमि हमारी नहीं है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि इस सम्बन्ध ने अपीलान्ट ने दिनांक 23-7-2015 को जवाब पेश कर दिया था किन्तु तहसीलदार ने जवाब पर ध्यान नहीं दिया एंव एकतरफा में निर्णय पारित कर दिया गया। निर्णय के बारे में भी नहीं बताया दिनांक 7-9-2015 को अपीलान्ट का प्रतिनिधि जब तहसील कार्यालय में गया तब निर्णय के बारे में लता लगा। अपीलान्ट ने अवलिम्ब नकल की दरख्वास्त पेश कर नकल प्राप्त की एंव दफा-5 के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7-9-2015 निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने लिखित बहस में अंकित किया है कि अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 5463 रकबा 3.03 बीघा वाके कस्बा शर्की पर चारों ओर पक्की दीवार निर्मित कर रखी है ओर खसरा नम्बा 5464 रकबा 0.01 बीघा गैर मुमकिन चाह भी उक्त चार दिवारी में स्थित है। मौके पर उक्त खसरा पड़त पड़ा है वहॉ पर किसी तरह को कोई कृषि कार्य नहीं है ओर कृषि से सम्बन्धित कोई खसरा गिरदावरी या किसी तरह के कोई साक्ष्य सबूत अपीलान्ट द्वारा पेश नहिं किये हैं। अपीलान्ट द्वारा भूमि किंना संपरिवर्तन करये कृषि कार्य के अतिरिक्त अकृषि उपयोग में ली जा रही है। तहसीलदार टोक का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की लिखित बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होंता है कि तहसीलदार टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 7-8-2015 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 5463 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि कस्बा शर्की टोंक में से जो अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जे काश्त की है में अपीलान्ट का अवैध पक्के कमरे का निर्माण व भूमि के चारों ओर पक्की चारदिवारी बनाने पर अपीलान्ट को बेदखल करने, तथा निर्माण को हटाने का निर्णय पारित किया है। जबकि कि अपीलान्ट का कथन है कि हमारे खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 5463 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा में से 3 बीघा भूमि में केवल चार दिवारी बनी हुई है कोई पक्का कमरा नहीं बना हुआ है। पक्के कमरे का निर्माण खसरा नम्बर 5465/1 रकबा 2.10 बीघा व खसरा नम्बर 5465/2 रकब 0.05 में पुख्ता चार मकान बने हुए है जो भूमि हमारी नहीं है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार टोंक से की रिपोर्ट तलब करने पर तहसीलदार टोंक द्वारा पत्र क्रमांक 944 दिनांक 4-7-2019 से पटवारी हल्का की मूल मौका रिर्पोट प्रेषित की है जिससे भी स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 5465/1 रकबा 2.10 बीघा व खसरा नम्बर 5465/2 रकब 0.05 में पुख्ता चार मकान बने हुए है व खसरा नम्बर 5463 में पक्की चार दीवारी हो रखी है। पेरोकार सरकार ने भी अपनी लिखित बहस दिनांक 05.02.2021 के [illegible] विवादित भूमि पर पक्की दीवार का निर्माण करना अंकित किया है। त[illegible] तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय व हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट [illegible] हस्तक्षेप

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:11:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

करना उचित समझते हैं। उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार टोंक द्वारा पारित निर्णय निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 7–8–2015 अपास्त किया जाता है एंव तहसीलदार टोंक को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि समस्त रिकार्ड व मौके की जांच करें तथा अपीलान्ट को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें। .

निर्णय आज दिनांक 8–2–-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोक

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:11:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner